R.M.M. Law College.
Amrendra Kumar Trivedi
Part. Time. Teacher
Subject Evidence

स्वामित्व के सम्बन्ध मे

साधारणतया कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे मे है तो वही उसका मालिक या स्वामी माना जायेगा जबकि वह उस जमीन का मालिकाना हक का दस्तावेज प्रस्तुत करे। जो प्रश्नगत सम्पत्ति पर अपना हक साबित करता है। जो वैधानिक कब्जा अभिप्रेत हो।

कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत माना जाता है क्योंकि वह स्वामित्व के कार्यों का जोड़ होता है। कब्जे से दो प्रकार के लाभ है, एक तो वह स्वामित्व का सबूत होता है, दूसरे वह कब्जे को कायम रखने का आधार होता है। जो व्यक्ति कब्जे मे होता है उसको वही व्यक्ति बेकब्जा कर सकता है जो अपने को उससे अच्छा हक साबित कर सके।

कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत
माना जाता है क्योंकि वह स्वामित्व
के कई कार्यों का जोड़ होता है।
कब्जे में दो प्रकार के लाभ हैं।
एक तो वह स्वामित्व का सबूत
होता है और दूसरा स्वतः कब्जे
पिछले 12 वर्षों से भीतर कब्जे
में रखने के बाद प्रतिवादी के
पक्ष में अवैध रूप से बेदखल
नहीं किया जाए। कब्जे के
आधार पर हक की उपधारणा
वादी के पक्ष में होने लगेगी
इस दशा में प्रतिवादी यह साबित
करेंगे कि क्या उसका कानूनन
हक वादी से बेहतर है।